रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247630
CG-DL-E-26072023-247630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3206] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 3206] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

का.आ. 3351(अ).—जबकि मैसर्स गडग।।-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 138, अंसल चेम्बर्स-द्वितीय, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली - 110066 है, ने पारेषण योजना "गडग में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना (1500 मेगावाट), कर्नाटकः पार्ट ए-फेज-।।" के तहत बिजली की तार बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. सीईए - पी एस-11-21/1/2021-पीएसपीए-I डिवीजन- पार्ट(1) -I/23535/2022 दिनांक 07.09.22 के द्वारा पारेषण योजना "गडग में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना (1500 मेगावाट), कर्नाटकः पार्ट ए-फेज-।।" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मैसर्स गडग।।-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स गडग।।-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड ने दिनांक 21.12.2022 (द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी में), हुबली प्रकाशन), दिनांक 21.12.2022 (दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में), बेंगलुरु प्रकाशन), दिनांक 21.12.2022 (सम्युक्ता कर्नाटक (कन्नड़ में), हुबली प्रकाशन) तथा भारत का राजपत्र दिनांक 07.01.2023 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स गडग।।-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 09.03.2023 दिनांकित एक

हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत गडग में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना (1500 मेगावाट), कर्नाटकः पार्ट ए-फेज-।। के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

i. गडग पीएस - कोप्पल पीएस 400 केवी (क्वाड मूस के बराबर उच्च क्षमता) डी/सी ट्रांसमिशन लाइन।

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गांवो के नाम	तालुक	जिला	राज्य
मुशीगेरी, चिगालागुंडी, संतागेरी, नल्लूर, कलिंगनूर, रुद्रपुर, अमरगट्टी, लक्कलकट्टी, गुलागुली, अलागुंडी, द्युमंशी, बेर्विकट्टी, सुदी, निदागुंडी, निदागुंडी कोप, हलकेरी, दिनदूर, राजूर, इत्गी, कालकापुर, कोडागानूर	गजेंद्रगढ़	गडग	कर्नाटक
कटराला, सिरागुम्पी, संकानूर, होसूर, म्यागेरी, मुधोल, करमुदी, संगनाल, बंदेहाल, तोंदहल, येलबुर्गा, कल्लूर	येलबुर्गा	कोप्पल	कर्नाटक
आडूर, राजूर, हिरे शंकरबंदी, द्यमपुर, कुकनूर, गोरलुकोप्पा, च्लन्नप्पनहल्ली/चन्नपनहल्ली, मसाबाहनचिनाला, चिकनकोप्पा, बटप्पनहल्ली, मंडलगेरी, नितली, मालेकोप्पा, मन्नापुरा, इटागी, लिंगपुरा, तडाकल, तालाबल, बन्नीकोप्पा, अदावल्ली, कोमलपुरा, चित्तपुरा	कुकनुरु	कोप्पल	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, "मैसर्स गडग।।-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड" को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. "मैसर्स गडग।।-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड" को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/2/2023-पीजी]

दीपक राव, निदेशक (पी.जी.)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2023

S.O. 3351(E).—Whereas M/s Gadag II-A Transmission Limited, the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, Delhi – 110066, has applied for authorization u/s 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Transmission Scheme for Solar Energy Zone in Gadag (1500 MW), Karnataka: Part A-Phase-II".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letters No.CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division-Part (1)-I/23535/2022 dated 07.09.2022 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Gadag II-A Transmission Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission Scheme for Solar Energy Zone in Gadag (1500 MW), Karnataka: Part A-Phase-II".

M/s Gadag II-A Transmission Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 21.12.2022 (The New Indian Express (in English), Hubballi edition), dated 21.12.2022 (Dakshin Bharat Rashtramat (in Hindi), Bengaluru edition), dated 21.12.2022 (Samyuktha Karnataka (in Kannada), Hubballi edition) and in Gazette of India dated 07.01.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Gadag II-A Transmission Limited has submitted an affidavit dated 09.03.2023 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission Scheme for Solar Energy Zone in Gadag (1500 MW), Karnataka: Part A-Phase-II". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

i. Gadag PS – Koppal PS 400 kV (high capacity equivalent to quad moose) D/C transmission line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT	STATE
Mushigeri, Chigalagundi, Santageri, Nallur, Kallinganur, Rudrapur, Amaragatti, Lakkalakatti, Gulaguli, Alagundi, Dyamhunshi, Bevinkatti, Sudi, Nidagundi, Nidagundi Kop, Halkeri, Dindur, Rajur, Itgi, Kalkapur, Kodaganur	Gajendragad	Gadag	Karnataka
Katrala, Siragumpi, Sankanur, Hosur, Myageri, Mudhol, Karmudi, Sangnal, Bandehal, Tondehal, Yelburga, Kallur	Yelburga	Koppal	Karnataka
Adur, Rajur, Hire Shankarbandi, Dyampur, Kuknur, Gorlukoppa, Chlnnappanhalli /Chanpanhalli, Masabahanchinala, Chikkenakoppa, Batappanahalli, Mandalgeri, Nitali, Malekoppa, Mannapura, Itagi, Lingapura, Tadakal, Talabal, Bannikoppa, Adavalli, Komalapura, Chittapura	Kukanuru	Koppal	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Gadag II-A Transmission Limited for laying above overhead line,

which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

i. The approval is granted for 25 years;

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Gadag II-A Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/2/2023-PG]

DEEPAK RAO, Director (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.26 22:28:05 +05'30'